

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या- 163/23

1- श्री कल्याणदास शिवाजी उगमलाल तलवार निवासी-गेगास तहसील-माण्डल (बीरगंज)

- प्रार्थी

बनाम

1- श्री कन्हैयालाल दास शिवाजी इश्वर नारायण निवासी-गेगास तहसील-माण्डल (बीरगंज)

(प्रह्लादकिशोर पत्र संलग्न)

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111- 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :- 19.3.24

:: आदेश ::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्रामगेगास..... पटवार हल्कागेगास..... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० प्रह्लादकिशोर पत्र संलग्न कुल किता20..... रकबा 8.96.64 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीता चिन्ह नही होने से आये दिनर सीमा संबधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.12.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।


:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्रामगेगास..... पटवार हल्कागेगास..... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० प्रह्लादकिशोर पत्र संलग्न कुल किता20..... रकबा 8.96.64 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षकलुहारिया..... को3500/- रूपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।




उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

<u>आराजी नं.</u>	<u>रकबा</u>
140	- 0.8347
739/150	- 1.0749
99	- 0.0253
831/142	- 2.2764
100	- 0.2529
129	- 0.1644
130	- 0.3415
131	- 0.3794
132	- 0.2403
136	- 0.3288
150	- 1.7199
152	- 0.0253
153	- 0.2023
97	- 0.1265
98	- 0.2276
154	- 0.1518
155	- 0.2023
94	- 0.1644
95	- 0.1012
96	- 0.1265

कुल कित्ता 20 रकबा 8.9664
